

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरु

पीठासीन अधिकारी :- अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :- 72/25

हुलासराम पुत्र जीवणराम जाति बावरी निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरु

वादी

बनाम

1. खीवाराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरु
2. तुलछाराम पुत्र भागुराम जाति मेघवाल निवासी सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरु
3. पप्पीदेवी पत्नि बीरबल जाति रेगर निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरु
4. मोहनराम पुत्र हेमाराम जाति रेगर निवासी डूंगरगढ जिला बीकानेर
5. श्रवणराम पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी बेरासर तहसील बीदासर जिला चूरु
6. शान्तिदेवी पत्नि गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी बेरासर तहसील बीदासर जिला चूरु
7. सहीराम पुत्र गोपालराम जाति मेघवाल निवासी बेरासर तहसील बीदासर जिला चूरु
8. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरु

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :-

1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी
2. प्रेमचन्द सैनी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 7

—: निर्णय :-

दिनांक:- 6-6-2015

वाद पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 1956/1080 तादादी 3.1617 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। वादगत भूमि का मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 अपने-अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का खान-पान, लेन-देन सब अलग-अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादी



उपखण्ड अधिकारी  
बीदासर

के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 15.05.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक-पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत भूमि वादी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग की होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की ऐलानीयां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। आदि-आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा राजीनामा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है।



उपखण्ड अधिकाारी  
बीदासर


पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश करने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वकूलान की बहस सुनी गई। वकूलान ने दौराने बहस दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को राजीनामा अनुसार डिकी करने का निवेदन किया।

वकूलान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश करने के कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। पक्षकार राजीनामा अनुसार वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहते है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :-

अतः पक्षकारों का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम साण्डवा के खसरा संख्या 1956/1080 तादादी 3.1617 हेक्टेयर में से 0.0318 हेक्टेयर भूमि खींवाराम के नाम, 0.0995 हेक्टेयर भूमि तुलछाराम के नाम, 1.0380 हेक्टेयर भूमि पप्पीदेवी के नाम, 0.0946 हेक्टेयर भूमि मोहनराम के नाम, 0.3288 हेक्टेयर भूमि श्रवणराम के नाम, 0.1644 हेक्टेयर भूमि शांतिदेवी के नाम, 0.1003 हेक्टेयर भूमि सहीराम के नाम, 1.0498 हेक्टेयर भूमि हुलासराम के नाम सलंगन नजरी नक्शा अनुसार अलग-अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। 0.2545 हेक्टेयर भूमि गैर मुमकिन रास्ता सलंगन नजरी नक्शा अनुसार दर्ज किया जाकर तरमीम की जावे। इस हेतु अंतिम डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक..... 6-6-25..... को सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बीदासर (चूरु)